भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 331

उत्तर देने की तारीखः 22.07.2025

वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र

331. श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल संबंधी सभी कार्यकलापों के लिए महत्वपूर्ण नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करने हेतु 27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या ये क्षेत्रीय केन्द्र प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए उत्तरदायी होंगे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के एक घटक, एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों), सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे गृहों में रहने वाले निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत, देश भर में कुल 696 वरिष्ठ नागरिक गृह चलाए जा रहे हैं, जो उनतीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

इस योजना के अंतर्गत ग्यारह क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) चलाए जा रहे हैं जो वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल के संबंध में प्रमुख नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं और मंत्रालय द्वारा आवंटित अपने निर्दिष्ट राज्यों में वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रमों पर समग्र तकनीकी सहायता और जानकारी प्रदान करते हैं। वे वृद्धावस्था में देखभाल के क्षेत्र में समर्थन, जागरूकता का सृजन, हितधारकों का प्रशिक्षण, डेटाबेस का निर्माण, निरीक्षण, निगरानी, अनुसंधान और राज्य सरकारों के साथ संपर्क भी स्थापित करते हैं।

****